UPAU010009302023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–2, औरैया

पीठासीन अधिकारी– संजय कुमार सिंह–द्वितीय, (एच.जे.एस.) – UP6476

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–416/2023

पिन्टू उर्फ शरद कुमार पुत्र अमर सिंह, निवासी ग्राम बेलीपुर, थाना अछल्दा, जिला औरैया।
...................प्रार्थी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य
.... विपक्षी।

दिनांक–02–03–2023

प्रार्थी पिन्टू उर्फ शरद कुमार की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र थाना–अछल्दा, जनपद–औरैया, मुकदमा अपराध संख्या–35/2023, धारा–457, 380 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा बृजेन्द्र कुमार प्रधानाध्यापक पू०मा०वि० बैलीपुर ने थाना अछल्दा में इस आशय की तहरीर दी कि शासन एवं विभाग द्वारा वतर्मान में परिषदीय विद्यालयों में 30 दिसम्बर, 2022 से 14 जनवरी, 2023 तक शीतकालीन अवकाश चल रहा है। दिनांक 07.01.2023 को विद्यालय में कार्यरत रसोइया श्रीमती मालती देवी एवं श्रीमती सीमा देवी द्वारा फोन पर सूचना पर वह विद्यालय में पहुंचा और 1090 एवं 112 पर पुलिस को सूचना दी गयी, जिसका पुलिस द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें उच्च प्रा०वि० बैलीपुर कम्पोजिट की रसोइया एवं प्रधानाध्यापक कक्ष का ताला तोड़कर निम्नलिखित सामान विद्यालय से निकालकर ले गये, जिसका विवरण निम्नवत है–दो ब्लूटूथ स्पीकर, एक विज्ञान कीट, एक गणित कीट जूनियर, खेल का समस्त सामान, तीन स्टील बाल्टी, एक रसोई भट्टी, तीन स्टील के डिब्बे, एक पंखा, पन्द्रह थाली, दस गिलास, तीन ताला।

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINGH
Date: 2023.03.02 17:01:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष का कथन असत्य एवं निराधार है, उसके खिलाफ कोई समुचित साक्ष्य नहीं है। उपरोक्त अपराध में उसका नाम सिर्फ सहअभियुक्त के बताने के आधार पर विवेचना में शामिल किया गया है। उसका सहअभियुक्त से कोई मतलब वास्ता या सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से अंकित करायी गयी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वह दिनांक 21.02.2023 से जेल में निरुद्ध है। सहअभियुक्त अंशुल उर्फ आशु की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। अतः उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर पू०मा०वि० बैलीपुर थाना अछल्दा में घुसकर कमरों एवं रसोई घर के ताले तोड़कर उनमें रखे दो ब्लूटूथ स्पीकर, एक विज्ञान कीट, एक गणित कीट जूनियर, खेल का समस्त सामान, तीन स्टील बाल्टी, एक रसोई भट्टी, तीन स्टील के डिब्बे, एक पंखा, पन्द्रह थाली, दस गिलास आदि की चोरी करने का अभियोग है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 06–01–2023 से 07–01–2023 तक की कथित की गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 16 दिन पश्चात दिनांक 23–01–2023 को दर्ज की गयी है। अभियोजन के अनुसार सह अभियुक्त अंशुल उर्फ आशु के पास से प्रस्तुत मुकदमें से सम्बन्धित माल बरामद हुआ है और उसके बयान के आधार पर अभियुक्त पिण्टू उर्फ शरद कुमार का नाम प्रकाश में आया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त पिण्टू उर्फ शरद कुमार से प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित किसी माल की बरामदगी होने का कथन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आरोपित अपराध 7 वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 21–02–23 से जिला कारागार में निरुद्ध है। सहअभियुक्त अंशुल उर्फ आशु की जमानत सत्र

न्यायालय, औरैया द्वारा दिनांक 16–02–2023 को स्वीकृत हो चुकी है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए, गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर जमानत का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी पिन्टू उर्फ शरद कुमार का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–35/2023, धारा–457,380 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–अछल्दा, जनपद–औरैया स्वीकार जाता है। प्रार्थी द्वारा 25,000/–रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर रिहा किया जाये।

(संजय कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०–2, औरैया।